न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 134/17

अनवान

1 दुदा पिता सुखदेव गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
2 गीता पत्नि दुदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3 नन्दा पिता मगना गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
4 ईशर पिता मगना गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
5 गंगा पिता मगना गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
6 बरजी पिता मगना गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
7 ईन्द्रा पिता सुखदेव जाट उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
8 बालु पिता तेजा गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
9 नानजी पिता तेजा गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
10 राणा पिता तेजा गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
11 केशर बेवा तेजा गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा– (लाऔलाद फौत डिलीट)
12 जगदीश पिता प्यारा गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा(फौत वारिसान रिकार्ड पर दर्ज)
13 नानु बेवा प्यारा गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा (लाऔलाद फौत डिलीट)
14 धापु पुत्री बद्री गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

————————(प्रार्थीगण)

बनाम

1. मांगु पिता कल्याण चमार उम्र वयस्क निवासी कुण्यिाकंला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा (डिलीट)
2. इदु पिता इमामुदीन मुसलमान उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा
3. उदा पिता रामा चमार उम्र वयस्क निवासी सुरजपुरा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा (डिलीट)
4. मांगु पिता कल्याण चमार उम्र वयस्क निवासी कुण्डियाकंला तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा (डिलीट)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

————————(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

: : निर्णय : :

दिनांक – 09.01.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 06.09.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 383 के आ0न0 178, 179, 181, 182, 183, कुल किता 05 कुल रकबा 08–04 बीघा भुमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 06.09.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 09.01.2018 को विपक्षी कम 01, 03, 04 को छोडकर शेष समस्त विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरूद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी कम 01, 03, 04 की तामील अदम लौटकर प्राप्त , पुनः भरकर प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर अविवक्ता प्रार्थीगण द्वारा नियत सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी कम 01, 03, 04 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए प्रमाण में आदेशिका पर इसका अंकन कर हस्ताक्षर किये गये। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 01, 03, 04 का नाम लाल स्याही से डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोंण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम कुण्डियाकंला पटवार मण्डल कुण्डियाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 383 के** आ0न0 178, 179, 181, 182, 183, कुल किता 05 कुल रकबा 08–04 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक रायला को 900/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,